एच.एस.बी.

पी. सी. जैन और डी. एस. तेवतिया, जे.जे. के समक्ष

जय भारत डेयरी फार्म दिल्ली और अन्य, याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी।

1978 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 306।

19 जुलाई 1979

हरियाणा दूध और दूध उत्पाद नियंत्रण आदेश 1978 और 1979 - खंड 3 1978 के आदेश के दूसरे परंतुक उप-खंड (i) और (ii) और 1979 के आदेश के उप-खंड (i) और (iii) भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 14 धारा 3 के प्रावधानों से कुछ डेयरियों को छूट दी गई है - क्या यह भेदभावपूर्ण और अधिकारातीत है अनुच्छेद 14।

अधिकृत किया गया कि 1978 और 1979 के हरियाणा दूध और दूध उत्पाद नियंत्रण आदेशों के खंड 3 के दूसरे प्रावधान में शामिल अपवादों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि दिल्ली की दो डेयरियों द्वारा किसी भी मात्रा में दूध के निर्यात की अनुमति है। एवं विक्रेता द्वारा एक क्विंटल की मात्रा में। एक कुन्तल दूध ले जाने वाले विक्रेता के संबंध में। 1978 के आदेश का उप-खंड (आईएल) और 1979 के आदेश का उप-खंड (iii) बहुत अस्पष्ट हैं क्योंकि उनमें कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि एक विक्रेता द्वारा दिल्ली में निर्यात की जाने वाली एक क्विंटल की मात्रा उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली कुल मात्रा है। एक घंटे के एक समय पर या दिन में एक बार। यदि एक व्यक्तिगत विक्रेता एक बार में एक क्विंटल तक की मात्रा में दूध दिल्ली ले जा सकता है, तो किसी मामले में एक चतुर विक्रेता अपने कौशल से दिल्ली के लिए कई गुना दूध ले जा सकता है और जिस दूध का वह निर्यात करेगा उस पर कोई भी दर लगाकर मुनाफा कमा सकता है। . यह दो अपवादों का प्रभाव है, दो डेयरियों को हरियाणा से दिल्ली तक किसी भी

मात्रा में दूध निर्यात करने की अनुमति और साथ ही यदि अन्य विक्रेता एक क्विंटल तक की मात्रा में दूध निर्यात करते हैं, तो नियंत्रण आदेशों के माध्यम से प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य निरस्त हो जाएगा। दोनों डेयरियों द्वारा दूध के निर्यात पर बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं है। दो डेयरियों द्वारा रियायती दरों पर दूध की बिक्री से हरियाणा राज्य के लोगों को कोई राहत नहीं मिलती है, क्योंकि इन दोनों डेयरियों और छोटे विक्रेताओं द्वारा दूध के निर्यात से राज्य में दूध की कमी हो जाती है। यदि दो डेयरियों को किसी भी मात्रा में दूध निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है, तो राज्य के लिए उनके व्यवसाय को जारी रखने पर प्रतिबंध लगाकर समान रूप से स्थित अन्य व्यक्तियों के मामले में अपवाद बनाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। दूध का निर्यात. इस प्रकार, डेयरियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना और उनमें से एक को नियंत्रण आदेश के खंड 3 में निहित निषेध और प्रतिबंधों से छूट देना और अन्य श्रेणी की डेयरियों पर ऐसे निषेध और प्रतिबंध लगाने का उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसे हासिल करना है। नियंत्रण आदेश. वर्गीकरण भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत उपचार की समानता का उल्लंघन करता है जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण आदेश 1978 के खंड 3 के दूसरे परंतुक के उप-खंड (i) और (ii) और उप-खंड (i) और (iii) नियंत्रण आदेश 1979 के खंड 3 के दूसरे परंतुक के अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध भेदभाव के दोष से ग्रस्त हैं।

(पैरा 10 और 11)

माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.एम. टंडन द्वारा 1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 2396 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 7 जून, 1978 के विरुद्ध पत्र पेटेंट अपील।

अपीलकर्ताओं के लिए आर.के. गर्ग, अधिवक्ता, एम.एम. पुंछी, अधिवक्ता और के.एल. दुआ।

नौबत सिंह, वरिष्ठ डी.वी. महाधिवक्ता, हरियाणा

प्रतिवादी की ओर से एस. के. लांबा, ए. ए. जी. (एच)।

प्रेम चंद जैन, जे.-

निर्णय

(1) हमारा यह निर्णय एल.पी.ए. का निपटान करेगा। 1978 की संख्या 306 और 1979 की 1978, 1816, 1897, 190-4, 1911 और 1918 की सिविल रिट याचिका संख्या 3065, क्योंकि इन सभी मामलों में कानून का सामान्य प्रश्न उठता है,

(2) मैसर्स. जय भारत डेयरी फार्म, सोहना और एक अन्य ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 57/सी.ए. की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका (सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2396/1978) दायर की। 10/55/ एस. 8/78, दिनांक 24 मई, 1978। ए जिसके द्वारा हरियाणा दूध और दूध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1978 (बाद में नियंत्रण आदेश, 1978 के रूप में संदर्भित) बनाया गया था। उस आदेश के खंड 3 के तहत, क्रीम आदि के निर्माण के लिए दूध का उपयोग, साथ ही हरियाणा राज्य से इसका निर्यात, जैसा कि उसके खंड 3 में बताया गया है, 24 मई, 1978 से 14 जुलाई, 1978 की अवधि के लिए निषिद्ध था। . इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 7 जून, 1978 को रिट याचिका को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से असंतुष्ट होकर लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत यह अपील दायर की गई है।

(3) राम अवतार गुप्ता ने सी.डब्लू.पी. 1978 की संख्या 3065 उक्त नियंत्रण आदेश की वैधता पर सवाल उठाती है। इस याचिका को खंडपीठ ने एल.पी.ए. के साथ सुनने का आदेश दिया था। 1978 की संख्या 306.

(4) उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से जारी नियंत्रण आदेश केवल 24 मई, 1978 से 14 जुलाई, 1978 तक प्रभावी था। सामान्य प्रक्रिया में, अपील और उक्त रिट याचिका निष्फल हो जाती, लेकिन उसी के रूप में निर्णय लिया जाना चाहिए वर्ष 1979 में फिर से हरियाणा दूध और दूध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1979 (इसके बाद नियंत्रण आदेश, 1979 के रूप में संदर्भित) प्रख्यापित किया गया, जिसके प्रावधान लगभग पिछले नियंत्रण आदेश के समान हैं। नियंत्रण आदेश, 1979 की शक्तियों को 1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 1816, 1897, 1904, 1911 और 1918 के माध्यम से भी चुनौती दी गई है।

(5) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. -नियंत्रण आदेश, 1979 के खंड 3 के दूसरे प्रावधान के खंड (i) और (iii) में दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी दिल्ली और एक समय में एक क्विंटल दूध ले जाने वाले विक्रेताओं को छूट दी गई है। महत्वपूर्ण प्रावधान की प्रयोज्यता से, यानी, आदेश के खंड 3 से; सरकार द्वारा किया गया वर्गीकरण किसी भी समझदार अंतर पर आधारित नहीं है जो दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी दिल्ली और एक क्विंटल दूध ले जाने वाले विक्रेताओं को दूसरों से अलग करता है, यानी, याचिकाकर्ताओं को छोड़ दिया गया है और उपरोक्त उप-खंडों के तहत परिकल्पित वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले आदेश के उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। इस तर्क के आधार पर, विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि लगाए गए प्रावधान भेदभावपूर्ण प्रकृति के होने के कारण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

(6) दूसरी ओर, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्री नौबत सिंह ने तर्क दिया कि हरियाणा राज्य में दूध की आपूर्ति और वितरण के रखरखाव और वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विवादित नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। तरल रूप, समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु; कि याचिकाकर्ता उन दो डेयरियों के बराबर नहीं हैं जो दिल्ली के लोगों को रियायती दरों पर दूध की आपूर्ति करती हैं; कि याचिकाकर्ता जो निजी व्यक्ति हैं, अपने आर्थिक लाभ के लिए दूध का निर्यात करते हैं, और विवादित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(7) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क में काफी ताकत है।

(8) नियंत्रण आदेश, 1978 के प्रख्यापन का उद्देश्य अधिसूचना में दिया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

"जबकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु, तरल रूप में दूध की हरियाणा राज्य में आपूर्ति और वितरण को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।"

खंड 3, जो दूध और दूध उत्पादों के निर्माण, बिक्री, सेवा, आपूर्ति और निर्यात पर रोक लगाता है, निम्नलिखित शर्तों में है: -

"3. कोई भी व्यक्ति-

(ए) क्रीम, कैसिइन, स्किम्ड दूध, खोआ, रूबी या किसी भी प्रकार की मिठाई के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के दूध का उपयोग करें, जिसकी तैयारी में घी को छोड़कर दूध या उसके किसी भी उत्पाद का एक घटक है; या

(बी) किसी भी क्रीम, कैसिइन, स्किम्ड दूध, खोआ, रूबी या किसी भी प्रकार की मिठाई को बेचने, परोसने, आपूर्ति या निर्यात करने या बेचने, परोसने, आपूर्ति या निर्यात करने का कारण बनेगा, जिसमें दूध या उसके किसी भी उत्पाद को तैयार किया गया हो। , सिवाय इसके कि घी एक घटक है;

(सी) हरियाणा राज्य से किसी अन्य राज्य को दूध निर्यात करना

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश; और

(डी) हरियाणा राज्य से किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पनीर का निर्यात करें:

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी दूध के उपयोग पर लागू नहीं होगा:

(i) आइसक्रीम, कुल्फी, कुल्फा या पनीर के निर्माण, बिक्री, सेवा या आपूर्ति के लिए, जिसकी तैयारी में कोई खोआ, रबड़ी या क्रीम का उपयोग नहीं किया जाता है;

(ii) ऐसे दूध और दूध उत्पादों के निर्माण, बिक्री, सेवा या आपूर्ति के लिए, जैसा कि राज्य सरकार, रक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एक आदेश परमिट द्वारा कर सकती है;

(iii) तरल रूप में खपत के लिए दूध के प्रसंस्करण में लगे ऐसे दूध कारखानों या संघनित दूध, दूध पाउडर के निर्माण के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कारखानों द्वारा , शिशु आहार या ऐसे कोई अन्य उत्पाद;

(iv) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी दुग्ध उत्पाद के निर्माण और बिक्री के लिए:

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी दूध के निर्यात पर लागू नहीं होगा-

(i) दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी दिल्ली द्वारा अपने पहचाने गए टैंकरों और अधिकारियों के माध्यम से किसी भी मात्रा में;

(ii) दिल्ली में किसी एक विक्रेता द्वारा एक क्विंटल तक की मात्रा में;

(iii) दुग्ध आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी परमिट पर हिमाचल प्रदेश के लिए।"

(9) आदेश की प्रस्तावना से, जिसे ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, यह स्पष्ट है कि रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए और नियंत्रण आदेश से तरल पदार्थ में दूध की आपूर्ति और वितरण में वृद्धि प्रख्यापित की जाती है, क्योंकि यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि गर्म और शुष्क मौसम और राज्य से दूध के निर्यात के कारण दुधारू मवेशियों की उपज काफी कम हो जाती है। जिस अवधि के लिए नियंत्रण आदेश प्रभावी है, उसके दौरान स्वाभाविक रूप से राज्य के लोगों को कठिनाई होगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या विवादित अपवाद किसी भी तरह से उस उद्देश्य को नकारात्मक या नष्ट कर रहे हैं जिसे नियंत्रण आदेश के माध्यम से हासिल किया जाना है।

(10) अपवादों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि दिल्ली की दो डेयरियों द्वारा किसी भी मात्रा में और विक्रेता द्वारा एक क्विंटल की मात्रा में दूध के निर्यात की अनुमति है। इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि

एक क्विंटल दूध ले जाने वाले विक्रेता के संबंध में, 1978 के आदेश का उप-खंड (ii) और 1979 के आदेश का उप-खंड (iii) बहुत अस्पष्ट हैं, क्योंकि वे कहीं भी यह परिभाषित नहीं करते हैं कि मात्रा- एक विक्रेता द्वारा दिल्ली में निर्यात की जाने वाली एक क्विंटल की मात्रा एचएम द्वारा एक घंटे में एक बार या दिन में एक बार निर्यात की जाने वाली कुल मात्रा है। यदि कोई विक्रेता एक क्विंटल तक की मात्रा में दूध एक बार में दिल्ली ले जा सकता है, तो किसी मामले में एक चतुर विक्रेता अपने कौशल से दिल्ली के लिए कई गुना दूध ले जा सकता है और दूध पर कोई भी दर वसूल कर मुनाफा कमा सकता है। निर्यात करेगा. यदि यह दो अपवादों का प्रभाव है, तो दो डेयरियों को हरियाणा से दिल्ली तक किसी भी मात्रा में दूध निर्यात करने की अनुमति देना और अन्य विक्रेताओं को एक क्विंटल तक की मात्रा में दूध निर्यात करने की अनुमति देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। , आदेश के माध्यम से प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य निरस्त नहीं किया जाएगा। दोनों डेयरियों द्वारा दूध के निर्यात पर बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं है। दिल्ली में कमी की स्थिति में, दोनों डेयरियां हरियाणा से अधिक दूध निर्यात कर सकती हैं। इसलिए छोटे विक्रेता भी हरियाणा के सीमावर्ती गांवों से कई यात्राएं कर सकते हैं और दिल्ली में दूध निर्यात कर सकते हैं। केवल यह तथ्य कि दिल्ली की दो डेयरियां रियायती दर पर दूध बेचती हैं, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि नियंत्रण आदेश का उद्देश्य हासिल किया जा रहा है। इन दोनों डेयरियों द्वारा रियायती दर पर दूध की बिक्री से हरियाणा राज्य के लोगों को कोई राहत नहीं मिलती है, क्योंकि इन दोनों डेयरियों और छोटे विक्रेताओं द्वारा दूध के निर्यात से राज्य में दूध की कमी हो जाती है। यदि दोनों डेयरियों को किसी भी मात्रा में दूध निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है, तो याचिकाकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों के मामले में अपवाद बनाने का राज्य के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(11) मामले के इस दृष्टिकोण में, हम मानते हैं कि डेयरियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से एक को नियंत्रण आदेश के खंड 3 में निहित निषेध और प्रतिबंधों से छूट दी गई है और दूसरी श्रेणी की डेयरियों पर ऐसे निषेध और प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी, अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं का नियंत्रण आदेश द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार इस तरह का वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत उपचार की समानता का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण आदेश, 1978 के खंड 3 के दूसरे परंतुक के उप-खंड (i) और (ii) और उप-खंड (i) और (iii) नियंत्रण आदेश, 1979 के खंड 3 के दूसरे परंतुक के अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध भेदभाव के दोष से ग्रस्त हैं।

(12) हम जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं उसे सुरेश चंद्रा और अन्य बनाम यूपी राज्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले से पूरा समर्थन मिलता है। और दूसरा (1), जिस पर हमारा ध्यान अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री गर्ग ने आकर्षित किया था। उस मामले में,

यू.पी. का अधिकार। दूध और दूध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1977 को चुनौती दी गई थी। उस नियंत्रण आदेश का खंड 2 इस मामले में नियंत्रण आदेश के खंड 3 के साथ कमोबेश समान है, और उस खंड के तहत डेयरियों की कुछ श्रेणियों को खंड 2 के संचालन से छूट दी गई थी। पूर्ण के समक्ष उठाए गए विवादों में से एक बेंच का कहना था कि नियंत्रण आदेश का खंड 2 भेदभाव की बुराई से ग्रस्त है। उक्त विवाद को कायम रखते हुए, चन्द्रशेखर, सी.जे., ने इस प्रकार कहा: -

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संविधान का अनुच्छेद 14 वर्गीकरण और विभिन्न वर्गों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने की अनुमति देता है; लेकिन ऐसा वर्गीकरण समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए और प्रश्न में क़ानून द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए।

नियंत्रण आदेश का उद्देश्य यूपी राज्य में तरल दूध की आपूर्ति को बनाए रखना और बढ़ाना और उचित मूल्य पर उसका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब हम जांच करेंगे कि क्या राज्य सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत पंजीकृत डेयरियों के वर्गीकरण के लिए बताये गये कारण, और एक ओर सहकारी समितियों, सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों द्वारा संचालित डेयरियां और दूसरी ओर दूध और दूध के क्षेत्र में अन्य डेयरियां और व्यापारी। - दूसरी ओर, नलिकाओं का नियंत्रण आदेश के उपरोक्त उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध कहा जा सकता है। केवल यह तथ्य कि डेयरियों की पूर्व श्रेणी दूध को चराती है और इसे किसी भी स्वच्छ स्थिति में अस्पतालों और जनता को आपूर्ति करती है, ऐसी डेयरियों को इस राज्य के किसी भी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तरल दूध के निर्यात पर प्रतिबंध से छूट देने का आधार नहीं हो सकता है। किसी अन्य राज्य को या दूध से मलाई निकालने और मक्खन बनाने पर प्रतिबंध से। यदि ऐसी डेयरियां अन्य राज्यों को दूध निर्यात करती हैं या दूध का उपयोग क्रीम निकालने और मक्खन बनाने के लिए करती हैं, तो ऐसे निर्यात या निर्माण से इस राज्य में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध तरल दूध की मात्रा उसी तरह कम हो जाएगी जैसे कि तरल दूध और पूर्व का निर्यात - अन्य डेयरियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा क्रीम का ट्रैक्शन और मक्खन बनाना।

इस प्रकार, डेयरियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने और उनमें से एक को नियंत्रण आदेश के खंड 2 में निहित निषेध और प्रतिबंधों से छूट देने और अन्य श्रेणी की डेयरियों पर ऐसे निषेध और प्रतिबंध लगाने का, मांगे गए उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। नियंत्रण आदेश द्वारा प्राप्त किया जाना है। इसलिए इस तरह का वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत उपचार की समानता का उल्लंघन करता

है। इस प्रकार, नियंत्रण आदेश का खंड 2 संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध भेदभाव के दोष से ग्रस्त है।"

(13) यह स्पष्ट किया जा सकता है कि विद्वान वकील ने हमारे समक्ष केवल नियंत्रण आदेश, 1978 के खंड 3 के दूसरे परंतुक के उप-खंड (i) और (ii) और उप-खंड (i) के अधिकारों को चुनौती दी है।) और (iii) नियंत्रण आदेश, 1979 के खंड 3 के दूसरे परंतुक के, न कि नियंत्रण आदेश के संपूर्ण खंड 3 के अधिकार।

(14) जिस दृष्टिकोण से हमने अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के पहले तर्क को लिया है, हम पत्र के रूप में विद्वान वकील के अन्य तर्कों में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि पेटेंट अपील और रिट याचिकाओं को पहले विवाद में दर्ज निष्कर्ष के आधार पर सीधे अनुमति दी जा सकती है।

(15) नतीजतन, हम एल.पी.ए. की अनुमति देते हैं। 1978 की संख्या 306 और 1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 3065 और 1979 की 1816, 1897, 1904, 1911 और 1918, और नियंत्रण आदेश के खंड 3 के दूसरे परंतुक के उप-खंड (i) और (ii) को हटा दें। , 1978 और नियंत्रण आदेश, 1979 के खंड 3 के दूसरे परंतुक के उप-खंड (i) और (ii), जो संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर हैं। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि एल.पी.ए. में विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय। 1978 की संख्या 306 को केवल हमारे सामने उठाए गए विवाद के संबंध में अलग रखा गया है। अन्य मामलों पर, जिन पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निष्कर्ष दिये हैं, हम कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं है। मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

डी. एस. तेवतिया, जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया

जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा